Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road
Kolkata – 700 001

Serial Circular No. 145/2015

No. E.839/0/1/Pt.V **Kolkata, Dated: 14/10/2015**

ALL CONCERNED
(As per the standard List)

Sub: Guidelines for fixation of pay of candidates working in Public Sector Undertakings etc., recommended for appointment by the Commission by the method of recruitment by selection – regarding.

*****

Following copy of Railway Board's letter No. 2015/F(E)II/3/1 dated 30.06.2015 **(RBE No.103/2015, PC-VI No. - 354)**, along with its enclosure containing DoP&T's O.M. No. 12/3/2009-Pay-I dated 30th March 2010 issued on the above noted subject, is forwarded herewith for information, guidance and necessary action. Board's earlier letters dated 08.01.1992, 16.07.1992, 12.03.1999 and 12.02.2001 mentioned therein were circulated under this office serial Nos. 32/92, 96/92, 63/99 and 48(4)/2001 respectively.

DA: Hindi version.

(K. K. Murmu)
Asstt. Personnel Officer/R&B
For Chief Personnel Officer
Phone No. 24118

Copy of Board's letter No. 2015/F(E)II/3/1 dated 30.06.2015 **(RBE No.103/2015, PC-VI No. - 354)** addressed to the GMs/All Zonal Railways & PUs.

Sub: Guidelines for fixation of pay of candidates working in Public Sector Undertakings etc., recommended for appointment by the Commission by the method of recruitment by selection – regarding.

******

Reference is invited to Board's circulars No.F(E)II/91/PA/1/1 dated 08.01.1992, 16.07.1992, 12.03.1999 and 12.02.2001 on the above subject. DoP&T vide their O.M. No. 12/3/2009-Pay-I dated 30th March 2010 have issued clarification regarding Guidelines for fixation of pay of candidates working in Public Sector Undertakings etc., recommended for appointment by the Commission by the method of recruitment by selection through interview only, subsequent to the implementation of recommendations of 6th CPC. A copy of which is forwarded for information and guidance.

DA: As above.

Sd/-(A. C. Jain)
Dy. Director Finance (Estt.)I
Railway Board

Index No. 1036: Guidelines for fixation of pay of candidates working in Public Sector Undertakings, Universities, Semi-Government Institutions or Autonomous Bodies, who are appointed as direct recruits on or after 1.1.2006 by the Commission by the method of recruitment by selection.

Contd....

No.12/3/2009-Pay-I
Government of India
Department of Personnel & Training
Estt (Pay-I) Section.
*****

New Delhi dated the 30th March, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for fixation of pay of candidates working in Public Sector Undertakings etc., recommended for appointment by the Commission by the method of recruitment by selection - regarding.

Reference is invited to this Department's OMs No. 12/1/88-Pay-I dated 7.8.89 and 12/1/96–Pay-I dated 10.7.98, whereby guidelines for fixation of pay of candidates working in Public Sector Undertakings etc., recommended for appointment by the Commission by the method of recruitment by selection through interview only, were issued.

2. Subsequent to the implementation of the recommendations of the 6th CPC and the issue of CCS(RP) Rules 2008, the system of Running Pay Bands and Grade Pays has been introduced. Accordingly, in partial modification of this Department's OM dated 7.8.89 and 10.7.98 referred to above, the method of pay fixation in respect of those appointed on or after 1.1.2006 will be as under:

> "In case of candidates working in Public Sector Undertakings, Universities, Semi-Government Institutions or Autonomous Bodies, who are appointed as direct recruits on or after 1.1.2006 on selection through interview by a properly constituted agency including Departmental Authorities making recruitment directly, their initial pay may be fixed by granting them the Grade Pay attached to the post. Further, their pay in the Pay Band may be fixed at a stage so that the pay in the Pay Band +Grade Pay and DA as admissible in the government, protects the pay +DA already being drawn by them in their parent organisations. The pay in the Pay Band fixed under this formulation will not be fixed at a stage lower than Entry Pay in the Revised Pay Structure (corresponding to the Grade Pay applicable to the post) for direct recruits on or after 1.1.2006 as notified vide Section II, Part A of First Schedule to CCS(RP) Rules, 2008. The pay in the Pay Band fixed under this formulation will not exceed Rs. 67000, the maximum of the Pay Band PB-4."

3. The conditions for admissibility of pay protection shall be the same as stipulated in this Department's OMs dated 7.8.89 and 10.7.98 referred to above.

4. In so far as persons serving in the India Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

5. These orders will be applicable w.e.f. 1.1.2006

6. Hindi version will follow.

(Rita Mathur)
Director (Pay)

To

1. All Ministries / Departments of the Govt. of India, etc.

...2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

पी सी-VI सं.- 354
आरबीई सं. 103/2015

सं. 2015/एफ(ई)II/3/1 नई दिल्ली, दिनांक: 11.09.2015

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: आयोग द्वारा चयन द्वारा भर्ती की पद्धति से नियुक्ति हेतु संस्तुत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के वेतन निर्धारण किए जाने संबंधी दिशा-निर्देश के संबंध में।

****

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 08.01.1992, 16.07.1992, 12.03.1999 और 12.02.2001 के बोर्ड के परिपत्र सं. एफ(ई)(II)/91/पीए/1/1 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने 30 मार्च, 2010 के का. ज्ञा. सं. 12/3/2009-पे-I के माध्यम से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत ऐसे उम्मीदवारों, जिन्हें आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती पद्धति से नियुक्ति हेतु संस्तुत किया गया हो, के वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए हैं। इसकी एक प्रतिलिपि सूचना और मार्गदर्शन हेतु भेजी जा रही है।

कृपया पावती दें।

(ए.सी. जैन)
उप निदेशक, वित्त (स्थापना)।
रेलवे बोर्ड

संलग्न: यथोक्त

सं. 2015/एफ(ई)II/3/1 नई दिल्ली, दिनांक: 11.09.2015

भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलों), कमरा नं. 224, रेलवे बोर्ड को प्रतिलिपि प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

संख्या 12/ 3/2009-वेतन-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली: दिनांक :30 मार्च 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के वेतन नियतन से संबंधित मार्गनिर्देश – आयोग द्वारा चयन द्वारा भर्ती पद्धति के माध्यम से की गई नियुक्तियों की संस्तुति के संबंध में ।

इस विभाग के दिनांक 7.8.89 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12/1/88-वेतन-I तथा दिनांक 10.7.98 के का.ज्ञा. सं. 12/1/96- वेतन-I की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों, जिन्हें आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती पद्धति द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किया गया हो, के वेतन नियतन से संबंधित मार्गनिर्देश जारी किए गए थे ।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा सी.सी.एस.(आर.पी) नियमावली, 2008 के जारी होने के बाद, रनिंग पे बैंड तथा ग्रेड पे की प्रणाली लागू की गई । तदनुसार उपर्युक्त संदर्भित इस विभाग के दिनांक 7.8.89 तथा 10.7.98 के का.ज्ञा. के आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 1.1.2006 को अथवा उसके बाद हुई नियुक्तियों के संबंध में वेतन नियतन निम्न प्रकार होगा :-

"ऐसे उम्मीदवारों के मामले में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, अर्धसरकारी संस्थानों अथवा स्वायत निकायों में 1.1.2006 को अथवा उसके बाद किसी समुचित रूप से गठित अभिकरण द्वारा जिसमें विभागीय प्राधिकरण जो सीधे भर्ती करता है, शामिल है, साक्षात्कार के द्वारा चयनित किया गया हो, उनका प्रारंभिक वेतन उस पद के साथ जुड़े ग्रेड वेतन को देते हुए नियत की जाए । इसके अतिरिक्त, वेतन बैंड में उनका वेतन ऐसे चरण में नियत किया जाए, ताकि वेतन बैंड+ग्रेड वेतन+सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्तों से उनका वेतन उनके द्वारा मूल संगठनों में पहले से आहरित वेतन+डी.ए. का संरक्षण हो सके । इस नीति के अंतर्गत नियत वेतन बैंड में उनका वेतन सी.सी.एस.(आर.पी) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग-क, खण्ड-II द्वारा 1.1.2006 को अथवा उसके बाद सीधे भर्ती हेतु अधिसूचित किए अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में प्रविष्टि वेतन से निचले स्तर पर नियत नहीं होगा । (संबंधित पद पर लागू होने वाले ग्रेड वेदन के अनुसार) इस नीति के अंतर्गत नियत किया गया वेतन 67000 रुपये से अधिक नहीं होगा, वेतन बैंड पी.बी.-4 की अधिकतम सीमा ।

3. वेतन संरक्षण की शर्तें इस विभाग के उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 7.8.89 तथा 10.7.98 में निर्धारित किए अनुसार ही होगी ।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, इन आदेशों को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

5. ये आदेश 1.1.2006 से लागू होंगे ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)
निदेशक (वेतन)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची अनुसार)